

बच्चों पर घरेलू हिंसा का प्रभाव: एक समालोचनात्मक अध्ययन

VINAY GARG

RESEARCH SCHOLAR [LAW]

RNB GLOBAL UNIVERSITY

BIKANER

EMAILID-gargvinay1986@gmail.com

सारांश (Abstract)

घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों—विशेषकर बच्चों—पर भी गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। यह शोध-पत्र बच्चों पर घरेलू हिंसा के बहुआयामी प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में यह पाया गया है कि घरेलू हिंसा के संपर्क में आने वाले बच्चे मानसिक, भावनात्मक, शैक्षिक तथा सामाजिक स्तर पर गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। इस शोध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि घरेलू हिंसा बच्चों के व्यक्तित्व विकास को बाधित करती है तथा उनके भविष्य के व्यवहार और संबंधों को प्रभावित करती है। यह शोध-पत्र विभिन्न सिद्धांतों, शोध अध्ययनों एवं भारतीय संदर्भों का विश्लेषण करते हुए इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है।

बीज शब्द (Keywords) घरेलू हिंसा, बाल मनोविज्ञान, भावनात्मक विकास, सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य, बाल अधिकार।

प्रस्तावना (Introduction)

भारत विश्व के 20% बच्चों का घर है, फिर भी देश भर में बाल दुर्व्यवहार की व्यापकता और रुझानों के बारे में बहुत कम जानकारी है। इस समीक्षा का उद्देश्य भारत में बाल दुर्व्यवहार की व्यापकता का आकलन करना है, जिसमें लिंग, शहरीकरण (जैसे शहरी बनाम ग्रामीण) और कानून (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012) के प्रभावों पर विचार किया गया है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, जहाँ बच्चों का समग्र विकास होता है। किंतु जब यही परिवार हिंसा का केंद्र बन जाता है, तो इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। घरेलू हिंसा में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल होते हैं।

भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू किया गया है, किंतु बच्चों पर इसके प्रभावों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। बच्चे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा के साक्षी बनते हैं, जिससे उनके मनोविकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह अध्ययन इसी समस्या का समालोचनात्मक विश्लेषण करता है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. बच्चों पर घरेलू हिंसा के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
2. घरेलू हिंसा का बच्चों के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव समझना।
3. दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
4. समस्या के समाधान हेतु नीतिगत सुझाव देना।
5. भारतीय संदर्भ में इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करना।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) एक महत्वपूर्ण, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिस पर 196 देशों (12 जुलाई 2022 तक) ने हस्ताक्षर किए हैं, जो प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या क्षमताएं कुछ भी हों।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) हमारे सभी कार्यों का आधार है। यह बच्चों के अधिकारों का अब तक का सबसे संपूर्ण विवरण है और इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है।

यूएनसीआरसी में क्या शामिल है?

इस सम्मेलन में 54 अनुच्छेद हैं जो बच्चे के जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करते हैं और नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करते हैं। यह सम्मेलन सार्वभौमिक है—ये अधिकार प्रत्येक बच्चे पर लागू होते हैं और सम्मेलन प्रत्येक बच्चे को इन अधिकारों का दावा करने का हकदार बनाता है। यह यह भी बताता है कि सभी बच्चों को उनके सभी अधिकारों का आनंद सुनिश्चित करने के लिए वयस्कों और सरकारों को मिलकर कैसे काम करना चाहिए।

प्रत्येक बच्चे को अधिकार प्राप्त हैं, बच्चे, माता-पिता या कानूनी अभिभावक के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा (अनुच्छेद 2)।

हमें इस सम्मेलन को समग्र रूप से समझना चाहिए: इसमें निहित प्रत्येक अधिकार परस्पर जुड़े हुए हैं, और कोई भी अधिकार दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित अधिकार प्रत्येक बच्चे के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक बच्चे को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

- आराम करो और खेलो (अनुच्छेद 31)
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 13)
- हिंसा से सुरक्षित रहें (अनुच्छेद 19)
- शिक्षा (अनुच्छेद 28)
- पहचान की सुरक्षा (अनुच्छेद 8)
- पर्याप्त जीवन स्तर (अनुच्छेद 27)
- अपने अधिकारों को जानें (अनुच्छेद 42)
- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं (अनुच्छेद 24)

घरेलू हिंसा की अवधारणा (Concept of Domestic Violence)

घरेलू हिंसा का अर्थ है परिवार के भीतर किसी सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य पर किया गया शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक अत्याचार।

यह हिंसा निम्न रूपों में हो सकती है:

शारीरिक हिंसा

मानसिक उत्पीड़न

भावनात्मक शोषण

आर्थिक नियंत्रण

बच्चे भले ही सीधे पीड़ित न हों, परंतु वे हिंसा के साक्षी बनकर गहरे आघात का अनुभव करते हैं।

सैद्धांतिक आधार (Theoretical Framework)

(क) सामाजिक अधिगम सिद्धांत

यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं। यदि वे हिंसा को देखते हैं, तो वे इसे सामान्य व्यवहार मान सकते हैं।

(ख) लगाव सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार, माता-पिता के साथ सुरक्षित संबंध बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक हैं। हिंसा इस संबंध को कमजोर करती है।

बच्चों पर घरेलू हिंसा के प्रभाव (Impact on Children)

मनोवैज्ञानिक प्रभाव (Psychological Impact)

अवसाद (Depression)

चिंता (Anxiety)

भय और असुरक्षा

आत्मसम्मान में कमी

घरेलू हिंसा के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी विकसित होती है।

व्यवहारिक प्रभाव (Behavioral Impact)

आक्रामक व्यवहार

सामाजिक अलगाव

नशे की प्रवृत्ति

अपराध की ओर झुकाव

कई शोध बताते हैं कि हिंसक वातावरण में पले-बढ़े बच्चे भविष्य में हिंसक व्यवहार अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं।

शैक्षिक प्रभाव (Educational Impact)

पढ़ाई में रुचि की कमी

विद्यालय से अनुपस्थिति

कम शैक्षणिक प्रदर्शन

घरेलू तनाव बच्चों की एकाग्रता को प्रभावित करता है।

सामाजिक प्रभाव (Social Impact)

रिश्तों में अस्थिरता

मित्रता में कठिनाई

सामाजिक कौशल में कमी

दीर्घकालिक प्रभाव (Long-term Effects)

वयस्क होने पर मानसिक विकार

अस्वस्थ पारिवारिक संबंध

हिंसा के चक्र का दोहराव

घरेलू हिंसा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चल सकती है।

भारतीय संदर्भ (Indian Context)

भारत में सामाजिक संरचना और पारिवारिक मूल्य घरेलू हिंसा को छिपाने में भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और सामाजिक दबाव के कारण बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं।

समालोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

घरेलू हिंसा पर अधिकांश नीतियाँ महिलाओं पर केंद्रित हैं, जबकि बच्चों के दृष्टिकोण को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। नीतियों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान कम है।

स्कूलों में काउंसलिंग की कमी

कानूनी प्रक्रियाओं में बच्चों की आवाज़ को नजरअंदाज किया जाता है यह आवश्यक है कि नीतियों में बच्चों को भी एक स्वतंत्र पीड़ित के रूप में मान्यता दी जाए।

समाधान एवं सुझाव (Suggestions)

(क) नीतिगत सुधार

बच्चों के लिए विशेष संरक्षण कानून

स्कूलों में काउंसलिंग सेवाएँ

(ख) सामाजिक जागरूकता

घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान

अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ग) मनोवैज्ञानिक सहायता
बच्चों के लिए थेरेपी

निष्कर्ष (Conclusion)

घरेलू हिंसा केवल एक पारिवारिक समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती है, जिसका गहरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यह उनके मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को बाधित करता है। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि यदि इस समस्या का समय पर समाधान नहीं किया गया, तो यह समाज में हिंसा के चक्र को बढ़ावा देगा। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, समाज और परिवार मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कार्य करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ (References / Bibliography)

1. UNICEF (2017) – Children and Violence Report
2. World Health Organization (2018) – Violence Against Children Study
3. National Crime Records Bureau – वार्षिक रिपोर्ट
4. Child Development
5. The Battered Child
6. भारतीय कानून: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005